

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 362]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 2 सितम्बर 2015—भाद्र 11, शक 1937

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर 2015

क्र. 6008-2015-अट्ठावन.—भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग का पत्र क्र. 13017-04-2014-Cr-II (Part-II) दिनांक 01 सितम्बर 2015 के परिपालन में विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना क्र. 4050-2015-अट्ठावन, दिनांक 14 अगस्त 2015 के बिन्दु क्र. 3 के परिशिष्ट 1(अ) एवं 2 (अ) में आंशिक संशोधन करते हुये ऋणी कृषकों के खरीफ फसल हेतु बीमा प्रस्ताव एवं प्रीमियम भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त 2015 से बढ़ाकर 7 सितम्बर 2015 की जाती है.

विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना क्र. 4050-2015-अट्ठावन, दिनांक 14 अगस्त 2015 की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रवीर कृष्ण, प्रमुख सचिव.